भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 907
जिसका उत्तर गुरुवार, 27 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

भारतीय न्यायिक सेवा का गठन

907. श्रीमती फूलो देवी नेतम :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय न्यायिक सेवा के गठन पर विचार कर रही है; और
(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रयास किये गये हैं?

उत्तर
विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 ने संविधान में अनुच्छेद 312 अंतःस्थापित किया जो अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं (एआईजेएस) के सृजन का उपबंध करता है । संवैधानिक उपबंध एआईजेएस के जिला न्यायाधीश स्तर पर सृजन को समर्थ करता है, जिसमें जिला न्यायाधीश से निम्न कोई पद सम्मिलित नहीं है । सरकार के दृष्टिकोण में उचित ढंग से विरचित अखिल भारतीय न्यायिक सेवा संपूर्ण न्याय परिदान प्रणाली को मजबूत करने के लिए आवश्यक है । यह एक उचित अखिल भारतीय मेधावी चयन प्रणाली के माध्यम से उपयुक्त योग्यता वाली नई विधिक प्रतिभा के प्रवेश का अवसर प्रदान करने के साथ-साथ समाज के सीमांत और वंचित वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व को समर्थ बनाकर सामाजिक समादेश के मुद्दे को भी हल करेगा ।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) के गठन के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव विरचित किया गया था और उसे नवंबर, 2012 में सचिवों की समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था । अप्रैल, 2013 में आयोजित मुख्यमंत्रियों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के अधिवेशन में इस प्रस्ताव को अजेंडा आइटम के रूप में सम्मिलित किया गया तथा यह विनिश्चित किया गया कि इस मुद्दे पर और बातचीत तथा विचार करने की आवश्यकता है ।

राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के विचार इस प्रस्ताव पर मांगे गए । अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन पर राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के बीच विचारों की भिन्नता थी । जबकि कुछ राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, कुछ अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन के पक्ष में नहीं थे, जबकि कुछ अन्य केन्द्रीय सरकार द्वारा विरचित प्रस्ताव में परिवर्तन चाहते थे ।

जिला न्यायाधीशों के पद पर भर्ती तथा सभी स्तरों पर न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की चयन प्रक्रिया के पुनर्विलोकन में सहायता के लिए न्यायिक सेवा आयोग के सृजन के संबंध में विषय भी मुख्य न्यायमूर्तियों के अधिवेशन के लिए अजेंडा के रूप में सम्मिलित किया गया, जो 03 और 04 अप्रैल, 2015 को आयोजित किया गया था, जिसमें त्वरित ढंग से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए रिक्तियों को भरने की विद्यमान प्रणाली के भीतर समुचित पद्धतियों के सृजन के लिए संबंधित उच्च न्यायालयों को निर्णय करने के लिए संकल्प किया गया । अगले दिन अर्थात् 05 अप्रैल, 2015 को आयोजित मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के संयुक्त अधिवेशन में भी इस मामले को रखा गया ।

16 जनवरी, 2017 को विधि और न्याय राज्य मंत्री, भारत के महान्यायवादी, भारत के महा-सालिसिटर, न्याय विभाग, विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग के सचिवों की उपस्थिति में विधि और न्याय मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में, पात्रता, आयु, चयन का मापदंड, अर्हता, आरक्षण आदि के मुद्दों पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन पर विचार किया गया । मार्च, 2017 में संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में भी एआईजेएस के गठन पर विचार-विमर्श हुआ तथा 22.02.2021 को एस.सी./एस.टी.के कल्याण पर संसदीय समिति में भी विचार किया गया।

मुख्य पणधारियों के बीच राय की विद्यमान भिन्नता को दृष्टिगत रखते हुए, वर्तमान में, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के लिए प्रस्ताव पर कोई सहमति नहीं है ।

****